



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलिगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696  
Email: roc.lko-mef@gov.in, m\_env@rediffmail.com

File No. 8B/Raj/08/18/2020/FC/736

Date: 16-07-2020

सेवा में,

शासन सचिव (वन)  
सिविल सचिवालय,  
राजस्थान शासन,  
जयपुर, राजस्थान।

**Online Proposal No: FP/Rj/Water/39353/2019**

**विषय: Diversion of 16.4546 ha. of forest land in favour of Public Health Engineering Department, division-1, Banswara for Water supply Project for 399 villages and 395 Dharies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District-Banswara, Rajasthan.**

**सन्दर्भ: शासन सचिव(वन), राजस्थान का पत्रांक-प.1(37)वन/2020, जयपुर, दिनांक-18.06.2020.**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विषयवर्तित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन [संरक्षण] अधिनियम, 1980 की धारा(2) के तहत स्वीकृति माँगी गयी है।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार अग्रिम कार्रवाई हेतु निम्न बिन्दुओं पर सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।


- 1- WTP and Pump House are proposed to be constructed on Forest land, however, as per Google earth imagery and digital maps adjoining non forest land can be used for this purpose. Why these structures have been proposed on forest land.
- 2- CA scheme to be as per FCA guidelines, for planting 1000 saplings per ha.
- 3- No objection certificates of concerned departments has to be provided.
- 4- Muck disposal plan approved by the DFO has to be provided.
- 5- NPV calculation has to be provided. How is this possible that Eco class and density is same across all forest blocks?
- 6- The Net suitable area for plantation as per GIS DSS analysis is 5.63 ha. which is less than the actual required area for C.A.
- 7- Kml file of alternate routes of proposed land to be diverted has to be provided.

भवदीया,

प्राची गंगवार,  
उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इस्टेट यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा।
3. पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेण्ट, डिवीजन- I, बांसवाड़ा, सुपरिटेण्डेंट इंजीनियर, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट सर्कल-बांसवाड़ा, राजस्थान।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

  
16/07/20  
प्रती गंगवार,  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय सभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

क्रमांक एफ 5 ( ) वसु/2020-21/मुवस/ 3907

दिनांक: 05-08-2020

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, बांसवाडा को उक्त संदर्भित पत्र की प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में भारत सरकार द्वारा लगाये गये आक्षेपों की बिन्दुवार पूर्ति कर/गवार एजेन्सी से करवाकर शीघ्र इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(Please be forwarded  
e-mail for clearance.)

भवदीय,

(नरेश चन्द्र चतुर्वेदी)

उप वन संरक्षक, (प्रशासन)  
कार्यालय सभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।